न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 125/2021(2021/395)

1. श्रीमति सीता देवी पुत्री स्व. श्री श्योनारायण जाति जाट निवासी सांकरिया तहसील केकडी पत्नि श्री महावीर जाति जाट निवासी हाल बीजवाड़ी तहसील देवली जिला टोंक

––प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी तहसील केकड़ी
2. श्रीमति कैलाशी पत्नि श्री बन्नालाल जाति जाट
3. बन्नालाल पुत्र स्व. श्री रुघनाथ जाति जाट वारिसान मृतक रुघनाथ पुत्र श्री नाथू जाति निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. रामजस पुत्र श्री बन्नालाल जाति जाट निवासी सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रोफोर्मा अप्रार्थीया

–:आदेश:–

दिनांक–6.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
303–79	कुल किता 17	कुल रकबा 6.61	

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम सांकरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 522 खाता संख्या पुराना 92 कुल खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 9.73 हैक्टेयर बारानी व चाह जो अनुसूची अ में उल्लेखित खसरा नम्बरान 2092 से लगातार खसरा नम्बर 434 कुल 19 खसरे जमाबन्दी खतोनी संख्या 2072 से 2075 में दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि संयुक्त रूप से खातेदारी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज हैं जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 4 रामजस I 1/6 हिस्सा है। गत एक माह से दिनांक 22.08.2021 रक्षाबंधन के दिन से अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की नियत में बदयान्ती आने से संयुक्त काश्तशुदा फसल ज्वाद को अकेले अनाधिकृत रूप से काटकर ले जाने पर अड़े हैं और प्रार्थीयास के 1/3 हिस्से की फसल ज्वार का हिस्सा देने में लड़ाई झगड़े पर आमादा हो रहे हैं। तथा बंटवारा करने को कहा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 को जरिये न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काष्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने व न ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात के शांतिपूर्ण कब्जे उपयोग उपभोग में बेदखल हो तथा साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये न्यायालय की अस्थाई निषेधाज्ञा इस हेतु भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे आराजीयात का बंटवारा न होने तक आराजीयात को बक्षीस या विकय नही करे तथा साथ ही साथ राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस हेतु पाबंद किा जाये कि वे उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के बेचान, अन्तरण, हस्तान्तरण सम्बन्ध में यदि कोई

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 द्वारा उनके समक्ष पंजीबद्व करवाने जाने हेतु लाया जाता है तो उसे पंजीबद्व नही करें तथा साथ ही साथ राजस्व रिकोर्ड की आज की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम व्यादेश बाबत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। कि प्रार्थीगण के रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण संख्या 4 ने जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। तथा शेष अप्रर्थीगण द्वारा मौखिक रूप से बटवारा किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 303–79 कें कुल किता 17, कुल रकबा 6.61हैक्टर पर प्रार्थीगण के रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner